

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT, MADHYA PRADESH GOVERNMENT

RESERVATION RULE

Page no. 23 in original document

26. Reservation: - Reservation as per the reservation policy of the Government of Madhya Pradesh will be as follows

26.1) If a candidate of reservation category comes in the merit list as per rules in general category competition due to getting maximum marks, then the seats to be reserved will be unaffected. Provided that if such a student belongs to any other cadre like freedom fighter etc., then the seat of the concerned cadre will be considered filled in that particular reserved category, the remaining seats of the concerned particular category will be filled as per eligibility.

26.2) 16% and 20% seats will be reserved for SC and ST candidates respectively. The places of these two categories will be interchangeable.

26.3) 14% seats will be reserved for backward class applicants (Except Creamy layer candidates) (Amendment No. 13681-227-21-A published in Madhya Pradesh Gazette No. 349 Bhopal dated 14-8-2019, applicable under the decision passed by the Hon'ble High Court under petition No. WP 5901 / 2019 on the amended order by notification dated 13-8-2019.).

26.4) Sons/daughters of freedom fighters, sons/daughters of soldiers martyred or permanently disabled while on duty in the Indian Army, and children of Central Armed Police Forces, dependents of ex-servicemen and disabled persons of these categories. 5% of seats will be reserved for all these category candidates combinedly.

The order of priority of the personnel and officers of the Indian Armed Forces will be as follows:-

1. Martyr widow and their dependent
2. Permanently disabled serving soldiers and their dependents during the war
3. Dependents of martyrs in service during peace
4. Persons permanently disabled in service during peace and their dependents.
5. Dependents of serving or ex-servicemen awarded with gallantry medals.
6. President's Police Medal for Gallantry
7. dependent on ex-servicemen
8. Dependent on serving soldiers

26.5) 5% seats will be reserved for applicants belonging to the Divyang category, but this reservation will be made available only from the seats reserved for the concerned cadre. 5% relaxation in qualifying marks will be given to PwDs at the time of admission. The benefit of this category can be availed by uploading the certificate (which mentions 40% or more disability) issued in the prescribed format provided by the District Medical Board to the disabled applicants at the time of registration.

English rendering of India Originals

26.6) Economically weaker general category students will be given the benefit of 10% reservation for admission in educational institutions as per the order of the Department of General Administration.

26.7) 1% of the sanctioned seats in the college will be reserved for the candidates who have passed NCC C certificate.

26.8) 30% of the seats available in all classes will be reserved for girl students.

26.9) 5% of the seats available in all related cadres will be reserved for class III and IV employees working in Madhya Pradesh Government, Higher Education Department and its subordinate government universities and colleges.

26.10) If the percentage of reserved seats is less than half, then the reserved seat will not be available in the same category. The number of reservation places will be considered as one only if it falls between half to 1.

26.11) The admission process in minority institutions will be completely conducted through online medium. All minority institutions will have to register their institution on the portal of Higher Education Department. There will be no restriction of reservation in minority institutions.

26.12) According to the time table in the CLC final phase, the vacancies of the previously mentioned reserved category (if the applicant is not available) will be converted for the applicants of the unreserved category.

26.13) Reservation rules issued by the government from time to time will be followed.

26.14) Such courses whose ordinance mentions that admission will be given through written test, eligible applicants will have to register on the portal and register preference for the concerned institution and course.

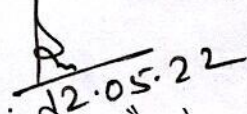
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ, भवन मंत्रालय-462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 12/05/2022

क्रमांक: 330/46/सीसी/2022/अड़तीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2022-23 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेंडर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी जारी किये जाते हैं।

संलग्न- प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत।


12.05.22
(संघमित्रा गौतम)

उप सचिव

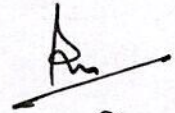
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक: 331/46/सीसी/2022/
प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक 12/05/2022

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल, म.प्र.।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा म.प्र.।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु।
10. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

..... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।



उप सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग



उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2022-23

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल – 462004

नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2551698, 2554763

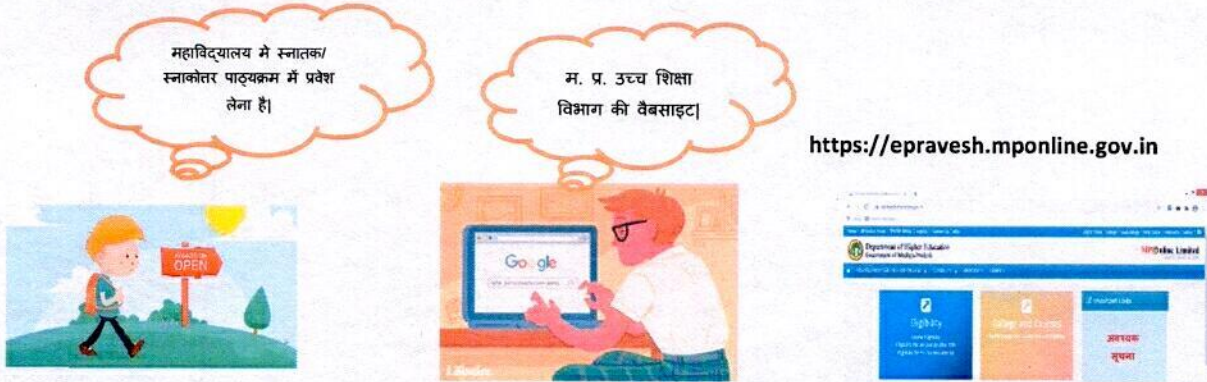
E-mail:- epravesesh12@gmail.com

तकनीकी समस्या हेतु एम.पी. ऑनलाइन सहायता केन्द्र नंबर :- 0755-6720201

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL

ONLINE ADMISSION PROCESS

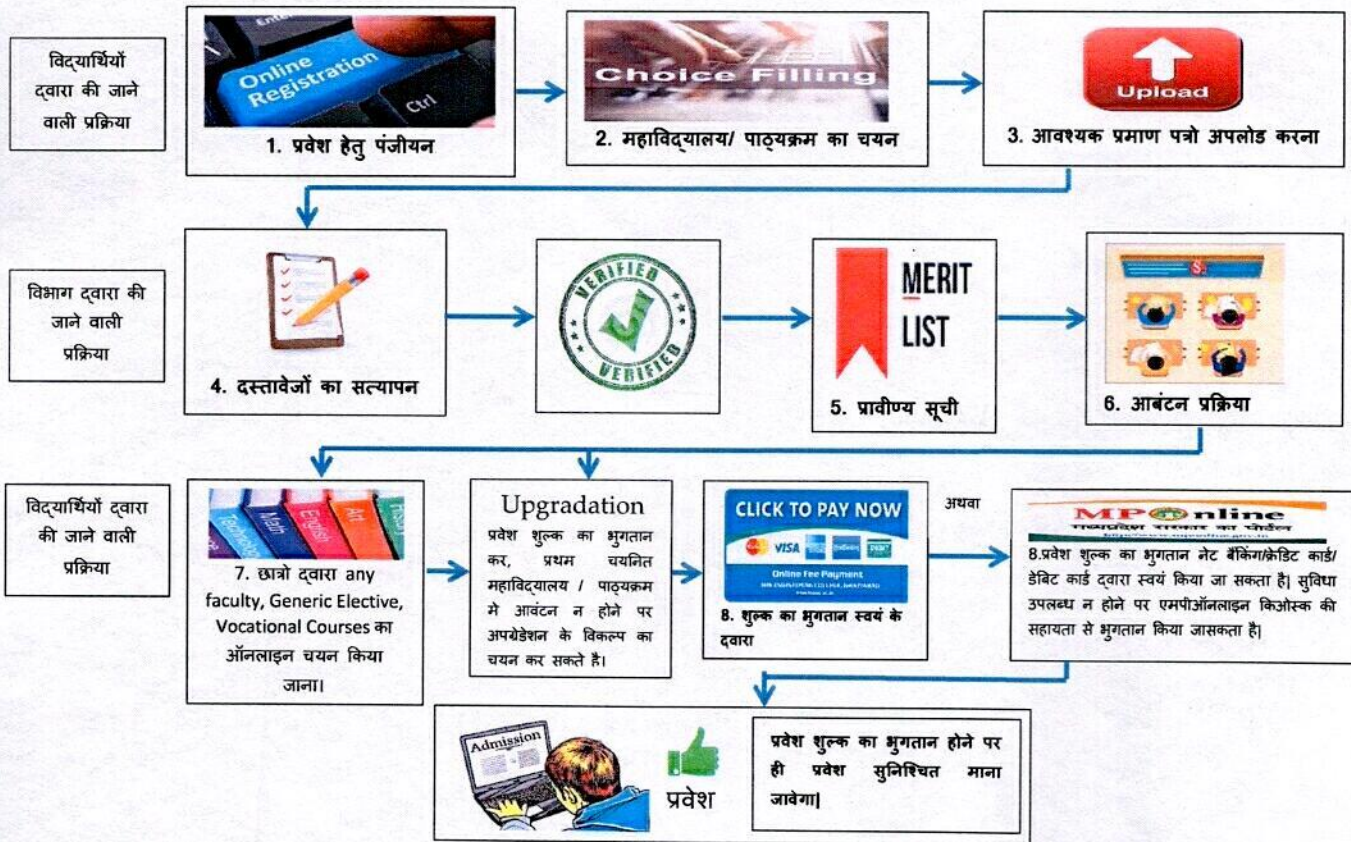


पोर्टल पर विश्वविद्यालय वार पाठ्यक्रम की सूची एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता दर्शित है।
में आसानी से अपनी योग्यतानुसार महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का चयन कर सकता/ सकती हैं।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने हेतु क्या करना है ।

सर्वप्रथम पंजीयन, पात्रता अनुसार महाविद्यालय पाठ्यक्रम का चयन, आवश्यक दस्तावेजों/ प्रमाण पत्रों स्कैन कर अपलोड करना। प्राप्तार्क एवं श्रेणी के आध पर नियमानुसार महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम का आबंटन होगा। आवंटन होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में नवीन विषयों का ऑनलाइन चयन। महाविद्यालय की प्रवेश शुल्क जमा कर, प्रथम चयनित महाविद्यालय/ पाठ्यक्रम में आवंटन न होने पर अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

<https://epravesesh.mponline.gov.in>



प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र 2022-23

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	उप विषय	पृ.क्र.
1	प्रयुक्ति		4
2	पोर्टल की जानकारी		4
3	आयु संबंधी प्रावधान		4
4	स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता		4-6
5	प्रवेश एवं अपग्रेडेशन प्रक्रिया :-		6-12
5.1	पंजीयन, पंजीयन शुल्क भुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया		6
5.2	पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश		7
5.3	महाविद्यालय / पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया		7
5.4	पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया	5.4.1 अंक सूची संबंधी	8
		5.4.2 जाति प्रमाण पत्र संबंधी	8
		5.4.3 संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधी	8
		5.4.4 अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी	8-9
		5.4.5 मूल निवासी संबंधी	9
5.5	पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों की ई -सत्यापन प्रक्रिया	5.5.1 ई-सत्यापन संबंधी निर्देश	9
		5.5.2 असत्यापित/त्रुटिपूर्ण आवेदन संबंधी निर्देश	9-10
5.6	प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण	5.6.1 प्रथम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया	10-11
5.7	महाविद्यालय / संकाय आवंटन पश्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाईन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश		11
5.8	ऑनलाईन प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान प्रक्रिया	5.8.2 प्रवेश शुल्क का ट्रान्जेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश	11-12
5.9	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया		12
6	ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया		12
7	प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया	7.1 शुल्क वापसी हेतु महाविद्यालय को निर्देश	12-13
8	रुक जाना नहीं अन्तर्गत प्रवेश		13
9	शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश		13
10	पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश		13-14
11	मध्यप्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं	11.1 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना	14
		11.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना (MMJKY)	14
		11.3 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना	15

क्र.	विषय	उप विषय	पृ.क्र.
12	वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु)		16
13	विधि संकाय हेतु नियमित प्रवेश प्रक्रिया		16-17
14	उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया		17
15	संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया		17
16	स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान		17
17	प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता		17-18
18	प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों हेतु)	18.1 स्नातक स्तर	18
		18.2 स्नातकोत्तर स्तर	18
		18.3 नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश	18
		18.5 शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश	19
		18.6 स्वाध्यायी (प्राइवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान	19
		18.7 पूर्व छात्र (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश	19
		18.9 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया	19
19	स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी/पूरक से संबंधित प्रवेश नियम		19-20
20	स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी से संबंधित प्रवेश नियम		21
21	प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण	21.8 निजी महाविद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर जोड़ने की प्रक्रिया	20-21
22	समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम		21-22
23	प्रवेश की पात्रता	23.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा	22
24	विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता		22-23
25	बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम		23
26	आरक्षण	26.11 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश	23-25
27	अधिभार	27.1 खेलकूद प्रतियोगिताओं संबंधी	25-27
		27.2 कला संस्कृति संबंधी	26
		27.3 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. स्काउट (गाइड्स / रेन्जर्स) एवं रेडक्रॉस सोसायटी संबंधी	27
28	प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान	28.1 प्रवेश पश्चात् प्राचार्य के अधिकार	27-28
		28.2 प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया	28
		28.3 हितग्राही योजना परिवर्तन	28
		28.4 विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन	28
29	परिशिष्ट 1 एवं 2		30-33
30	परिशिष्ट 3 ऑनलाइन प्रवेश समय-सारणी		34-35
31	सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ – Frequently Asked Questions)		36-44

**मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त
(सत्र 2022-2023)**

1. प्रयुक्ति :-

मार्गदर्शक सिद्धान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक-6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश/नियम/विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.आई. वहाँ ये नियम विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों के सुसंगत पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होंगे।

1.1 समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश उपरान्त गरिमामयी प्रवेश उत्सव आयोजित किये जाएंगे, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

2. पोर्टल की जानकारी :-

पंजीयन हेतु प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी पोर्टल (<https://epravesha.mponline.gov.in>) पर उपलब्ध रहेगी।

3. आयु संबंधी प्रावधान :-

वर्ष 2017-18 प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्त के बिन्दु क्रमांक 9.3 क,ख,ग,घ,ड,च के तहत आयु संबंधी प्रावधानों को विलोपित किया गया है तथा उसके स्थान पर वर्ष 2018-19 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा हटाई गई है अर्थात् सभी विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

4. स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रता :-

4.1 स्नातक स्तर हेतु :-

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

स.क्र.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय/वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.(गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.(गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय/बी.बी.ए./बी.सी.ए.(गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के साथ अनिवार्य)
4	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
5	कृषि	कला संकाय/बी.एस.सी. (जीव.विज्ञान समूह)(जीव.विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे-गार्डनोबायोलॉजी, बायोटेक्नॉलाजी, सीड टेक्नॉलाजी आदि विषय)टीप:- म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 394/73/सी.सी./2017 दिनांक 03.05.2018 के अनुसार)
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/वाणिज्य संकाय/विज्ञान संकाय/गृह विज्ञान संकाय अंकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु (बिन्दु क्र. 4.1.6 का अवलोकन करें)

4.1.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :-

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12वीं बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

स्पष्टीकरण - मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी.बोर्ड. से गुक्त बोर्ड (Open Board)/एम.पी.बोर्ड./पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य राज्यों से बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4.1.2 आई.टी.आई उत्तीर्ण आवेदक 12वीं (10+2) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

4.1.3 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 667/175/सीसी/18/38, दिनांक 10.07.2018 द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु 10+2 परीक्षा किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (10+2 परीक्षा की अंकसूची में गणित मुख्य या अतिरिक्त विषय के रूप में दर्ज हो।)

4.1.4 मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेंड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

4.1.5 यू.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

4.1.6 व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण आवेदक - माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जावेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता का परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

4.2 स्नातकोत्तर स्तर हेतु :-

स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.कॉम./एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

स.क्र.	कक्षा	अर्हकारी परीक्षा
1	एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम. / बी.कॉम ऑनर्स
2	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. संबंधित विषय के साथ
3	एम.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)
4	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण
5	एम.एस.डब्ल्यू.	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (पात्रता हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत आवश्यक)

4.2.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :- मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4.2.2 पी.जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5. प्रवेश एवं अपग्रेडेशन प्रक्रिया :-

प्रवेश प्रक्रिया :-

- प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय / अशासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में सत्र 2022-23 हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था होगी। सत्र 2022-23 में एक चरण एवं तीन सी.एल.सी. चरण संचालित किए जाएंगे। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विभाग द्वारा पृथक से जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में, अनिवार्यतः कराना होगा।
- सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.सी. / आई.सी.एस.सी. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म के प्राप्तांकों के आधार पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में प्राविधिक प्रवेश के लिए शामिल हो सकेंगे। प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त तथा संबंधित बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर, प्रवेशित महाविद्यालय में ऑनलाइन पोर्टल पर अद्यतन करने की कार्यवाही की जायेगी। अनुत्तीर्ण प्रवेशित विद्यार्थी के प्रवेश स्वमेव निरस्त माने जावेंगे।

अपग्रेडेशन प्रक्रिया :-

- प्रथम चरण एवं सी.एल.सी. में आवेदक आवंटित महाविद्यालय के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ ही चाहें तो च्वाइस फिलिंग अनुसार अपग्रेडेशन के लिए ऑनलाइन सहमति व्यक्त कर सकेंगे।
- सी.एल.सी. के प्रत्येक चरण में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के आधार पर महाविद्यालय स्तर से संचालित की जावेगी।
- प्रथम चरण के समाप्त होते ही जिन आवेदकों ने आवंटन पश्चात भी शुल्क भुगतान नहीं किया है, ऐसी स्थिति में रिक्त स्थान पर आवेदक को मेरिट अनुसार अपग्रेड किया जा सकेगा। विद्यार्थी को अपग्रेड होने की सूचना एस.एम.एस. द्वारा प्रदान की जावेगी। आवेदक के अपग्रेड होते ही पूर्व में आवंटित महाविद्यालय से प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। आवेदक के अपग्रेड होने के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर गुणानुक्रम के आधार पर अगले पात्र आवेदक को स्वतः ही स्थान आवंटित हो सकेगा। आवेदक को आवंटन पश्चात 03 दिवस शुल्क भुगतान करने का अवसर होगा।
- संबंधित महाविद्यालय द्वारा नवीन आवंटित महाविद्यालय को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क अंतरित किया जायेगा।

5.1 पंजीयन, पंजीयन शुल्क भुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया :-

5.1.1 ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के अन्तर्गत स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदक को विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विषय-समूह (गणित/जीव विज्ञान/वाणिज्य/कला/गृह-विज्ञान इत्यादि) का चयन करते हुए उन महाविद्यालयों का चयन करना होगा जिनमें आवेदक प्रवेश चाहता है। इसी प्रकार स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही के साथ विषय चयन एवं महाविद्यालयों का चयन करना होगा।

5.1.2 स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों को ऑनलाइन पंजीयन के समय ही ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भी भरना होगा। प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त के भुगतान उपरान्त आवेदक के नामांकन एवं यूनिवर्सिटी आई.डी की कार्यवाही स्वतः पूर्ण हो जायेगी। प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का पंजीयन क्रमांक ही यूनिवर्सिटी आई.डी के रूप में प्रयुक्त होगा। पंजीयन क्रमांक के पश्चात् नियमित विद्यार्थी के लिए “/आर” (/R) और स्वाध्यायी विद्यार्थी के लिए “/पी” (/P) का प्रयोग किया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त नामांकन क्रमांक के साथ विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम जैसे - “/बीयू” (/BU) अंकित किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर विद्यार्थी को आवंटित नामांकन क्रमांक एवं यूनिवर्सिटी आई.डी यथावत संबंधित विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो जाएगा और उसके साथ

ही संबंधित विश्वविद्यालय का संक्षिप्त नाम अंकित कर दिया जाएगा जैसे-"/बीयू/डी.ए.वि. वि"/(BU/DAVV) अंकित किया जाएगा।

- 5.1.3 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी समय-सारणी अनुसार आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं या कियोस्क द्वारा कर सकेंगे।
- 5.1.4 पंजीयन के पश्चात् आवेदक आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे-नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि (10वीं/12वीं की अंकसूची के अनुसार), श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाईल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूर्वक जाँच कर लें एवं सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णतः सही है। दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- 5.1.5 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। प्रथम चरण तथा सी.एल.सी. चरण में स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम तथा वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के कुल अंकों की प्रावीण्यता प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- 5.1.6 प्रवेश प्रक्रिया के मध्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदकों को स्वयं/अभिभावक को उपस्थित होकर हेल्पसेन्टर के माध्यम से पोर्टल पर अद्यतन परीक्षा परिणाम अंकित कराना एवं सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।
- 5.1.7 पंजीयन शुल्क का भुगतान समय-सारणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगा:-

स.क्रं	चरण	शुल्क	विशेष
1.	प्रथम चरण में पंजीयन	100/-	समस्त छात्राओं को निःशुल्क
2.	सी.एल.सी. चरण में पंजीयन	500/-	विलंब शुल्क सहित।
3.	पोर्टल शुल्क	50/-	स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए।

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा, तत्पश्चात् ही ऑनलाइन ई-सत्यापन होगा।

- 5.2 पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देश :-

कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/सी.एल.सी. में अपने ऑनलाइन आवेदन को अद्यतन करने के साथ ही महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की च्वाइस फिलिंग एवं दस्तावेज/प्रमाण पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः ऑनलाइन अपलोड करना होगा।

- 5.2.1 प्रवेश प्रक्रिया के सी.एल.सी. चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को स्थान रिक्त रहने पर ही प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

- 5.3 महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन प्रक्रिया

सत्र 2021-22 की ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया में पंजीयन के समय आवेदक न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 15 महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए विकल्प चयन (च्वाइस फिलिंग) कर सकेंगे। ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत एक से अधिक संकाय में आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक-पृथक पंजीयन कराना होगा। एक आवेदक सामान्य एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय के लिए संयुक्त रूप से महाविद्यालय की च्वाइस फिलिंग कर सकेंगे।

5.4 पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया :-

ई सत्यापित आवेदकों को कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा केवल अधिभार के इच्छुक आवेदकों को संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिन आवेदकों का ई-सत्यापन नहीं हुआ है ऐसे आवेदकों को पंजीयन के समय ई-सत्यापन हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा (स्पष्ट एवं पठनीय) -

- (अ) अंक सूची-न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु बारहवीं, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर (मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.1 का अवलोकन करें)
 - (ब) जाति प्रमाण पत्र- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग), यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.2 का अवलोकन करें)
 - (स) संवर्ग प्रमाण पत्र- (दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी/ उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पाल्य आदि) यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.3 का अवलोकन करें)
 - (द) अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो (मार्गदर्शिका की कण्डिका 5.4.4 का अवलोकन करें)
- अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में निर्देश एवं स्पष्टीकरण

5.4.1 अंक सूची संबंधी :-

- (अ) स्नातक स्तर में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अंकसूची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक की इन्टरनेट से डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित अंक सूची मान्य होगी।
- (ब) स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक द्वितीय वर्ष / तृतीय, पंचम सेमेस्टर की अंकसूची के साथ तृतीय वर्ष / षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गई अंकसूची को स्वसत्यापित करने के बाद एक साथ समस्त अंकसूची स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

5.4.2 जाति प्रमाण पत्र संबंधी :-

आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 352/243/आउशि/शा-5 अ/2019, भोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है।

- (अ) ऑनलाईन पंजीयन के समय आवेदक के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। उसके पश्चात् ही प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- (ब) आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापन हेतु मान्य किये जावेंगे।

5.4.3 संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधी :-

संवर्ग प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 28 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5.4.4 अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :-

- (अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2018-19 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।
- (ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2019-20 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

- (स) एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में दिया जायेगा। आवेदक सर्वाधिक अधिभार वाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड करें।
- (द) अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 27 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5.4.5 मूल निवासी संबंधी :-

- (अ) मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी आवेदक जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा मध्यप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की हैं, उन्हें पंजीयन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ब) मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी जिन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं अन्य प्रदेश में अध्ययन कर उत्तीर्ण की हैं किन्तु वे मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- (स) ऐसे आवेदक जिन्होंने कक्षा 10 वी एवं 12 वी की परीक्षा मध्यप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की है किन्तु आवेदक अन्य राज्य का निवासी है। उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र न होने अथवा प्रक्रियाधीन होने की स्थिति में उन्हें मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होने संबंधी निर्धारित प्रपत्र में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना होगा अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवासी का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5.5 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों की ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया :-

- (अ) पंजीकृत आवेदकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) के माध्यम से ऑनलाईन संपन्न की जावेगी।
- (ब) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन की प्रक्रिया हेतु स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों के ऑनलाईन पंजीयन फॉर्म का अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर शासकीय महाविद्यालयों (हेल्पसेन्टर) द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जावेगा।
- (स) आवेदक पंजीयन के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों/अधिभार हेतु दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेज पूर्णतः स्पष्ट एवं पठनीय हों।

5.5.1 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश :-

- (अ) ऑनलाइन सत्यापन हेतु सगस्त शासकीय महाविद्यालय आवंटन अनुसार ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फॉर्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेजों को डाउनलोड कर परीक्षण उपरान्त संबंधित अधिकारी "सत्यापन पूर्ण" के बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आवेदक का ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित हो सकेगा।
- (ब) आवेदक का फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नं/ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।
- (स) आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फॉर्म के ऑनलाइन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

5.5.2 असत्यापित/त्रुटिपूर्ण आवेदन संबंधी निर्देश :-

- (अ) यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदन पत्र में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अस्पष्ट/अपर्याप्त/अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फॉर्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।
- (ब) संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फॉर्म की सूची में रखेंगे। ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जानकारी का संधारण किया जायेगा। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है, इस आशय की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल/ई-मेल पर प्रेषित करने का दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। सत्यापनकर्ता अधिकारी आवेदक के आवेदन फॉर्म को "असत्यापित या त्रुटिपूर्ण" वर्ग में क्लिक करेंगे। इसकी सूचना आवेदक को पंजीकृत मोबाईल नंबर/ई-मेल पर संदेश के माध्यम से भी दी जावेगी।

- (स) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारणी अनुसार आवेदक स्वयं/अभिभावक मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी निकटतम शासकीय महाविद्यालय (Help Center) में उपस्थित होकर त्रुटि सुधार कर पुनः सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। शासकीय महाविद्यालय (Help Center) ऐसे आवेदकों के पंजीयन आवेदन में त्रुटि सुधार कर उनके सही दस्तावेज अपलोड कर, पुनः विकल्प चयन करवाकर, पुनः सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेंगे। इसके पश्चात् ऑनलाईन सत्यापन पर्या (ऑनलाईन वेरिफिकेशन स्लिप) आवेदक को दी जावेगी।
- (द) आवेदक का फार्म ऑनलाईन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नं/ई-मेल पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी। आवेदक स्वयं भी अपने लॉगिन आई.डी. से आवेदन फार्म के ऑनलाईन सत्यापन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- (य) अपवाद स्वरूप सत्यापन के पश्चात् परंतु ऑनलाईन शुल्क जमा करने के पूर्व यदि कोई त्रुटि/विसंगति संज्ञान में आती है तब मूल दस्तावेजों से परीक्षण कर शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों (Help Centers) के माध्यम से त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाईन रिक्वेस्ट जिले के अग्रणी महाविद्यालय को त्रुटि सुधार हेतु प्रेषित की जायेगी। शासकीय महाविद्यालयों के सहायता केन्द्रों की रिक्वेस्ट पर अग्रणी महाविद्यालय द्वारा त्रुटि सुधार किया जायेगा त्रुटि सुधार उपरांत आवेदक पुनः विकल्प चयन कर पुनः सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे। इस हेतु भेजी गई रिक्वेस्ट के परीक्षण एवं दस्तावेजों के संधारण की पूर्ण जिम्मेदारी सहायता केन्द्रों की होगी।
- (र) निर्धारित तिथियों में पंजीकृत/सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रम अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

5.6 प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण :-

(अ) गुणानुक्रम का निर्धारण -

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।

(ब) स्नातकोत्तर कक्षा में प्राथमिकता का निर्धारण -

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में स्थान रिक्त रहने की दशा में ही पात्रतानुसार सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी. चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे।

5.6.1 प्रथम चरण में प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया

- (अ) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल समस्त महाविद्यालयों को प्रथम चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आईडी पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक द्वारा संबंधित महाविद्यालय के ऑनलाईन शुल्क भुगतान पश्चात् प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सभी महाविद्यालय अपनी लॉगिन आईडी पर देख सकेंगे। शुल्क भुगतान उपरांत आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्त कराने पर ऐसे विद्यार्थियों की सूची भी पोर्टल पर दर्शित होगी।
- (ब) प्रथम चरण में सभी ई-सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय/विषय एवं महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर महाविद्यालय में प्रवेश आवंटन, ऑनलाईन प्रवेश समय सारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किये जावेंगे।
- (स) इसकी सूचना आवेदकों को उनके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल नम्बर/ई-मेल पर संदेश के द्वारा दी जावेगी साथ ही, आवेदक अपना प्रवेश आवंटन आवश्यक रूप से प्रवेश पोर्टल पर स्वयं भी लॉगिन पासवर्ड से चेक कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

- (द) आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित महाविद्यालय में जाने / प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु लिंक इनीशिएट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) का भुगतान ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे।
- (य) प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। उक्त प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय के खाते में पूर्वानुसार ऑनलाइन ही ट्रांसफर होगा।

5.7 महाविद्यालय/संकाय आवंटन पश्चात् प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाइन विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देश :-

5.7.1 आवेदकों को महाविद्यालय आवंटित होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक प्रथम वर्ष के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाइन विषय चयन की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक आवंटित तीन मुख्य विषय को ही चयनित कर सकता है। आवेदक अभिरूचि अनुसार तीन मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य संकाय से तीसरे मुख्य विषय का चयन भी कर सकता है। आवेदक को किसी भी संकाय से एक जैनरिक विषय एवं एक व्यवसायिक विषय का चयन करना स्वैच्छिक होगा।

5.7.2 आवेदक द्वारा विषय चयन करने के उपरांत ऑनलाइन प्रवेश/नामांकन शुल्क के लिए लिंक स्वतः इनिशिएट हो जावेगी। आवेदक ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे।

5.8 ऑनलाइन प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान प्रक्रिया

(अ) आवेदक को ऑनलाइन विषय चयन करने के उपरांत प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त राशि रुपये 1,000/- (नामांकन शुल्क सहित) ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके साथ ही आवेदक को नामांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपनी सहमति दर्ज करनी होगी। जिससे आवेदकों को पृथक से नामांकन के लिए आवेदन नहीं करना होगा। प्रवेश शुल्क की शेष राशि तीन किश्तों में संबंधित महाविद्यालय के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में डिजिटल माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना एवं कोविड-19 बाल कल्याण योजना के आवेदकों के लिए प्रक्रिया कण्डिका 11.1, 11.2 एवं 11.3 के अनुसार होगी।

(ब) चयनित विषय के आधार पर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यू.पी.आई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर प्रवेश प्राप्त कर सकेगा।

(स) प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक को प्रवेश प्राप्त होने की सूचना पंजीकृत मोबाईल नं./ ई-मेल पर प्राप्त होगी।

5.8.1 शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाइन एडमिशन स्लिप के प्रिंट आउट लेने संबंधी :-

आवेदक द्वारा ऑनलाइन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त किया जा सकेगा, यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनके प्रवेश की प्रविष्टि पोर्टल पर हो चुकी है। एडमिशन स्लिप का बाद में भी पोर्टल से प्रिन्ट लिया जा सकता है। आवेदक को प्रवेश रसीद (Admission Slip) का प्रिंट लेने के तत्काल बाद महाविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

5.8.2 प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देश :-

आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन/प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैंक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।

महत्वपूर्ण—विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क प्रवेशित महाविद्यालय की प्रोफाईल में दर्ज बैंक खाते में स्थानांतरित होगा। अतः सभी महाविद्यालय स्वयं के बैंक खाते क्रमांक को प्रोफाईल अद्यतन करते समय सही-सही दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। यह जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित महाविद्यालय की होगी। महाविद्यालय के बैंक खाते में विसंगति होने पर विद्यार्थियों की प्रवेश शुल्क की राशि संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में तब तक वापस जमा नहीं हो पायेगी, जब तक की महाविद्यालय द्वारा बैंक खाते की विसंगति को दूर कर अद्यतन नहीं किया जाता है।

5.9 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया :-

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाईन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

6. ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं आवंटन प्रक्रिया :-

- 6.1 सी.एल.सी. चरण में प्रवेश हेतु महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रम/वर्गवार रिक्त स्थानों की जानकारी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
- 6.2 पंजीकृत आवेदक को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम की वरीयता दर्ज करनी होगी। महाविद्यालय स्तर पर इस हेतु कोई भी लिखित आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।
- 6.3 प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालयों में मूल सीटों के विरुद्ध शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जावेगा।
- 6.4. सी.एल.सी. अंतिम चरण में समय-सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर प्रवेश नियम कंडिका 26.1 से 26.9 का पालन सुनिश्चित करते हुये संबंधित आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें कंडिका 26.12 के प्रावधानों के निहित समय-सारणी अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी।
- 6.5 ऑनलाईन सी.एल.सी. प्रक्रिया में समय सारणी अनुसार आवेदक प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गये स्थानों पर पूर्व वरीयताओं में संशोधन/परिवर्तन कर सकेंगे।
- 6.6 प्रथम चरण में प्रवेश लेकर, प्रवेश निरस्त कराने वाले आवेदक को ऑनलाईन सी.एल.सी. प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाईन वरीयता/विकल्प पुनः देना अनिवार्य है।
- 6.7 पुनः वरीयता हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- 6.8 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है। समय-सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन पश्चात् सी.एल.सी. चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इस हेतु आवेदक प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के विन्दु क्रं 5 में उल्लेखित कण्डिका 5.1 से 5.10 तक का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तदनुसार ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करें।
- 6.9 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल महाविद्यालयों को सी.एल.सी. चरण की आवंटन सूची पोर्टल पर उनकी लॉगिन आई.डी. पर उपलब्ध रहेगी।
- 6.10 सी.एल.सी. चरण में समय सारणी अनुसार प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर प्रावीण्य सूची जारी कर नियमानुसार सम्पन्न की जाएगी।

7. प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया -

1. ऑनलाईन प्रवेश सत्र 2022-23 से प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी।
2. आवेदक को महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश निरस्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. आवेदक को प्रवेश निरस्तीकरण हेतु ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

4. आवेदक द्वारा निरस्तीकरण आवेदन सबमिट करने पर उनके द्वारा पूर्व में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. दर्ज करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। जिसकी पावती ऑनलाइन आवेदक को प्राप्त हो सकेगी।
 5. आवेदक द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण आवेदन में उपलब्ध करवाये गये खाता क्रमांक में प्रवेश शुल्क की राशि नियमानुसार वापस की जावेगी।
- 7.1 शुल्क वापसी हेतु महाविद्यालय को निर्देश –
- शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालय द्वारा प्रथम चरण/सी.एल.सी. चरण में प्रवेश प्रक्रिया के मध्य प्रवेश लेकर ऑनलाइन प्रवेश निरस्त होने पर महाविद्यालय को ऑनलाइन पोर्टल से स्वतः सूचित होगा तथा संबंधित महाविद्यालय द्वारा 10 कार्य दिवस के अंदर रूपए 100 काटकर शेष सम्पूर्ण राशि वापस करना अनिवार्य होगा। उक्त समयावधि में राशि वापस नहीं की जाती है, तो संबंधित संस्था के प्राचार्य को मूल राशि पर राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते की ब्याज दर से 3 प्रतिशत अधिक प्रतिदिन के आधार पर ब्याज सहित राशि वापस करना होगा। समयावधि में राशि वापस नहीं किये जाने की स्थिति में संस्था के प्राचार्य जिम्मेदार होंगे ब्याज की राशि का भुगतान स्वयं प्राचार्य के द्वारा वहन किया जाएगा।
8. रुक जाना नहीं अंतर्गत प्रवेश – ई-प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रुक जाना नहीं योजना अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदक, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन कर ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। महाविद्यालय स्तर पर ई-सत्यापन पश्चात् ऐसे आवेदक अर्हता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) छात्र के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।
 9. शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश – कडिका 23.1(अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को महाविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर सम्बद्ध पाल्य को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा दर्ज करनी होगी।
 10. पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश –
- 10.1. ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्रावधिक प्रवेश हेतु ऑनलाईन सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जावेगा।
 - 10.2. प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने अपना पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करवा लिया है।
 - 10.3. पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में गुणानुक्रम के आधार पर अवसर प्राप्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश लेना होगा। स्थान रिक्त होने पर सी.एल.सी. चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (नोट:- इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंक सूची ही ऑनलाईन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी।)

- 10.4 प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत निर्धारित समय सारणी अनुसार उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की जानकारी अद्यतन कराना होगा। जिससे आवेदक का प्रवेश निरंतर/निरस्त किया जा सके। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापस की जाएगी।
11. म.प्र.शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएं :-
- 11.1 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना :-
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक 866/342/ सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 2017-18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है।
इस योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों के तहत किया गया है।
- 11.1.1 पात्रता की शर्तें:-
i. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
ii. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय छः लाख रुपये से कम हो।
iii. विद्यार्थी ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.ए.ई./आई.सी.एस.ई बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।
- 11.1.2 योजना का स्वरूप
यह योजना स्नातक स्तर में प्रवेश प्राप्त करने हेतु लागू की गई है। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पात्रता संबंधी समय-समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा।
स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त होने पर छात्र को इस योजनांतर्गत संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मैस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा। (म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का पत्र क्र. एफ 5-6/2017/42 (1) भोपाल दिनांक 05.06.2018)
- 11.1.3 स्पष्टीकरण:- प्रवेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।
- 11.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना(MMJKY) :-
मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना के तहत म0प्र0 शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14-2/2008/42-2 दिनांक 21 अगस्त 2018 के तहत प्रवेश दिया जावेगा। इस हेतु समय समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।
- 11.2.1 पात्रता की शर्तें:-
i. यह योजना स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जावेगी।
ii. विद्यार्थी के माता/पिता का म.प्र.शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।
- 11.2.2 योजना का स्वरूप
कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 525/484/आउशि/शा-5'अ'/2018 भोपाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर (प्रथम/द्वितीय वर्ष) के पारम्परिक एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश (लेकिन मैस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) दिया जायेगा।

- 11.2.3 स्पष्टीकरण :-स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनान्तर्गत प्रवेश प्राप्त होने पर केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।
- 11.2.4 विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण :- उपरोक्त दोनों योजनाओं (मेधावी/जनकल्याण) के लाभ प्राप्त करने से पूर्व, विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य हितग्राही योजनाओं का भली भांति अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क भुगतान के समय इन योजनाओं का चयन करें।
- 11.3 मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना :- मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1373/2021/50-2, भोपाल, दिनांक 21.05.2021 के अनुसार -
- 11.3.1 योजना का उद्देश्य (परिशिष्ट 1)-
इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुये अपनी शिक्षा निर्विघ्न रूप से पूरी कर सकें। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है।
- 11.3.2 परिभाषा (परिशिष्ट 3)-
परिवार से अग्रिप्राय पति-पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है, (परिशिष्ट 3.1)
बाल हितग्राही से अग्रिप्राय ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो (परिशिष्ट-3.2) और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.1) या माता-पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अग्रिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट-3.2.2) या माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। (परिशिष्ट-3.2.3)
"कोविड-19 से मृत्यु" का अग्रिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है, जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक अवधि में हुई।
- 11.3.3 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि (परिशिष्ट 4)-
प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।
- 11.3.4 बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता/अग्रिभावक की कोविड-19 से मृत्यु होने से, वे अनाथ हो गये हैं, को उच्च शिक्षा सहायता निम्नानुसार देय होगी (परिशिष्ट 5.3.2) -
- (अ) शासकीय अथवा केंद्र/राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में हितग्राहियों को प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मैस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा साथ ही कॉशनमनी जमा कराने से छूट रहेगी। बाल हितग्राहियों का प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित संस्था को प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (ब) ऐसे निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है, उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त कड़िका - 'अ' अनुसार समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या रुपये 15,000 जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में की जावेगी।
- 11.3.5 इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, उन्हें भी योजना लागू वर्ष से लाभ प्रदान किया जा सकेगा। (परिशिष्ट-5.3.4)

- 11.3.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। (परिशिष्ट-5.3.5)
- 11.3.7 शासन की अन्य योजनाओं का लाभ-मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राहियों को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त होगा किन्तु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा। (परिशिष्ट-8)
- 12 वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु) :-
- 12.1 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु वन-स्टेप-अप योजनान्तर्गत प्राथमरी / मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए केवल शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्तें म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र.F44-27/2015/20-2, दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेगी। इस हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उल्लेखित पाठ्यक्रमों/विषयों में महाविद्यालय में सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे।
- 12.2 वन-स्टेप-अप योजना के अंतर्गत प्रवेश ऑनलाईन माध्यम से ही होंगे। आवेदकों को ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/महाविद्यालय/पाठ्यक्रम चयन/ई-सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, आवेदकों को प्रवेश समय सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
13. विधि संकाय हेतु नियमित प्रवेश प्रक्रिया :-
- (अ) विधि स्नातक (एल.एल.बी./बी.ए.एल.एल.बी.)में BCI नई दिल्ली द्वारा निर्धारित सीटों (अधिकतम 60 विद्यार्थी प्रति सेक्शन) एवं गापदण्डों अनुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- (ब) विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से ही होंगे। विधि महाविद्यालयों को उनके यहां संचालित विधि पाठ्यक्रमों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का, संबंधित मैपिंग महाविद्यालय से सत्यापन, शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक करवाना अनिवार्य होगा।
- (स) स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विधि संकाय में प्रथम चरण से ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 13.1 एल.एल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु स्नातक में न्यूनतम अंक प्रतिशत -

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45 %
अन्य पिछड़ा वर्ग	42 %
अनुसूचित जाति/जनजाति	40 %

- 13.2 एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक प्रतिशत :-
हायर सेकण्डरी एवं पूर्व ग्यारहवीं में न्यूनतम अंक प्रतिशत निम्नानुसार होंगे-

वर्ग	न्यूनतम अंक प्रतिशत
सामान्य वर्ग	45 %
अन्य पिछड़ा वर्ग	42 %
अनुसूचित जाति/जनजाति	40 %

- 13.3 पत्राचार/दूरस्थ पाठ्यक्रम से विधि में प्रवेश :-

यदि आवेदक ने पत्राचार/दूरस्थ पाठ्यक्रम से 12वीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण कर विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु आवेदन किया हो तो वह एल. एल. बी. त्रि-वर्षीय/पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु पात्र होगा।

स्पष्टीकरण :- आवेदक जिसने 10+2 अथवा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर मुक्त विश्वविद्यालय (ओपन विश्वविद्यालय) से बिना आधारभूत मूल शिक्षा (बेसिक क्वालिफिकेशन) के प्राप्त किया हो तो वह विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा। (The BCI Rules Page No-35 & Para No-02)

13.4 एल.एल.एम. में प्रवेश :-

- (अ) एल.एल.एम.में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा (एल.एल.बी. त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत होंगे।
(ब) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।

विशेष टीप:- न्यायालयीन निर्णय अनुसार 54.5 प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

14 उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया :-

- 14.1 म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 772/216/सीसी/2018, भोपाल, दिनांक 7.8.2018 के तहत 08 उत्कृष्ट महाविद्यालयों में बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम एवं बी.बी.ए. के संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता अन्य महाविद्यालयों के ही समान होगी।
14.2 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 547/484/सीसी/2018, भोपाल, दिनांक 6 जून 2018 के अनुसार महाविद्यालयों एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न आनर्स पाठ्यक्रमों यथा-बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम एवं बी.बी.ए. के सभी पाठ्यक्रमों में अर्हताकारी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट रहेगी।

15. संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया :-

- 15.1 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शाला-स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा। संस्कृत बोर्ड के परिणाम देर से घोषित होने पर 11वीं की अंक सूची के आधार पर पंजीयन कराया जा सकेगा तथा सी.एल.सी. चरण में इन आवेदकों को प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
15.2 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिये निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से संपन्न करना होगा। सभी संस्कृत महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति, निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाईल दर्ज कर मैपिंग महाविद्यालय से ऑनलाईन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से ऑनलाईन पुनः सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

16. स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी प्रावधान :-

- सत्र 2022-23 से शाराकीय महाविद्यालयों के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में यदि संसाधनों में कमी/कठिनाई है तो प्रवेश हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-
16.1 सत्र 2021-22 के स्नातक प्रथम वर्ष में यदि किसी पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेश 25 या अधिक संख्या में है तभी उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2022-23 में प्रवेश दिया जायेगा। (अर्थात् 24 या 24 से कम प्रवेशित संख्या वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।)
16.2 सत्र 2021-22 के स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में यदि किसी विषय में प्रवेश 10 या अधिक संख्या में है तभी उक्त विषय में सत्र 2022-23 में प्रवेश दिया जायेगा। (अर्थात् 09 या 09 से कम प्रवेशित संख्या वाले विषय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।)
16.3 सत्र 2022-23 के सभी नवीन पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में संख्या का बंधन नहीं रहेगा।

17. प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता :-

- 17.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
17.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाईन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्रावधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

- 17.3. महाविद्यालय, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर में विश्वविद्यालय के परीक्षा फार्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली गई है। अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तर पर पूरक/ए.टी.के.टी. प्राप्त छात्र स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 17.4. प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर स्वयं के दायित्व/जिम्मेदारी पर प्रवेश लेंगे। स्नातक तृतीय वर्ष /षष्ठम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में प्रावधिक रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाएगा।
- 17.5. स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पात्रता के अनुसार क्रमशः स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
18. प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया (शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों हेतु) :-
प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस की समय-सीमा में ऑनलाईन ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा।
- 18.1. स्नातक स्तर हेतु :- पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाईन प्रवेश दिया जायेगा। शेष वर्षों में (द्वितीय व तृतीय वर्ष)/शेष सेमेस्टर्स में (तृतीय व पंचम सेमेस्टर) प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन ही होगी।
- 18.1.1. वार्षिक प्रणाली में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण/एक विषय में पूरक प्राप्त विद्यार्थी को आगामी वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 18.1.2. सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण/किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में अधिकतम चार विषयों में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) प्राप्त विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 18.2. स्नातकोत्तर स्तर हेतु :- पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाईन प्रवेश दिया जायेगा। तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी। तृतीय सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण/किसी एक सेमेस्टर में दो तथा एक-समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 18.3. नवीनीकरण शुल्क संबंधी निर्देश - नियमानुसार संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रवेश नवीनीकरण हेतु पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाईन प्रगोट किया जाएगा। स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी पात्रतानुसार 500/- प्रथम किश्त के रूप में ऑनलाईन जमा कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्नातक स्तर पर MMVY/MMJKY के विद्यार्थी निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर योजना का बटन क्लिक कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। स्नातकोत्तर स्तर पर MMJKY के विद्यार्थी निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर योजना का बटन क्लिक कर प्रवेश प्राप्त करेंगे। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 68/17/आउशि/आई.टी./19 भोपाल, दिनांक 05.03.2020 के तहत निर्धारित, समस्त विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण हेतु पोर्टल शुल्क रुपये 30/- देय होगा। प्रवेश शुल्क की शेष राशि संबंधित महाविद्यालय द्वारा तीन किश्तों में महाविद्यालय आरंभ होने पर ऑनलाईन जमा की जावेगी।
- 18.4. सत्र 2021-22 से मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना (कण्डिका 11.3) के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना है।

- 18.5 शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश -
कंडिका 23.1(अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक-स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र तथा आव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate) प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर-स्तर पर प्रवेश के लिये आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 18.6 स्वाध्यायी (प्राइवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान :- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, वह विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी महाविद्यालय में संबंधित कोर्स/विषय में स्थान रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय वर्ष में तथा तृतीय/पंचम सेमेस्टर में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।
- 18.6.1 राज्य शासन के आदेश क्र. 1615/1929/2018/38-2, दिनांक 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित/असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है वह सत्र 2022-23 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2021-22 की स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2022-23 में स्नातक स्तर के द्वितीय/तृतीय वर्ष में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश ले सकेंगे।
- 18.7 पूर्व छात्र (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश :- जिन विद्यार्थियों को 'पूर्व छात्र' की श्रेणी में रखा गया था वे आगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा।
- 18.8 पूर्व छात्र (Ex-Student) के प्रवेश की स्थिति निर्मित होने पर महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने की दशा में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से स्थान (सीट) वृद्धि की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
- 18.9 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया :-
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी महाविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाईन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
19. स्नातक कक्षाओं में ए.टी.के.टी./पूरक से संबंधित प्रवेश नियम :-
- 19.1. सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) विषयों में ए.टी.के.टी.प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी। वार्षिक पद्धति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् सत्र के दौरान एक विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) में पूरक प्राप्त आवेदकों की परीक्षा होगी।
- 19.2. वार्षिक पद्धति में एक विषय में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को पूरक की पात्रता होगी तथा पूरक प्राप्त आवेदकों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार अगले वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रावधिक प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
- 19.3. सेमेस्टर पद्धति में विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेंगे, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 19.4. स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. 1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।

- 19.5 विशेष परीक्षार्थी : कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 1204/387/आउशि/शा-5'अ'/2012 भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2012 के अनुसार जिला / संभाग / राज्य / राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद / कला-संस्कृति (युवा उत्सव) / एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट एवं रेडक्रॉस सोसायटी के क्षेत्र में यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दौरान किसी प्रतियोगिता आदि में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य के प्रमाणित करने पर उन विद्यार्थियों की परीक्षाएं उसी सत्र में परीक्षा समाप्ति के 10 दिवस में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय सारणी जारी कर, आयोजित की जायेगी और उनके परीक्षा परिणाम अन्य परीक्षाओं के साथ ही जारी किये जाएंगे।
20. स्नातकोत्तर कक्षाओं में ए.टी.के.टी. से संबंधित प्रवेश नियम :-
- 20.1 सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हो) प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।
- 20.2 दो प्रश्न पत्रों में (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी. के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात् विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा।
- 20.3 विद्यार्थी एक समय में चार ए.टी.के.टी. के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।
- 20.4 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि के संबंध में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र.1868/198/सीसी/17/38, दिनांक 9.10.2017 के प्रावधान लागू होंगे।
21. प्रवेश सीट संख्या का निर्धारण :-
- 21.1 समस्त शासकीय महाविद्यालयों में सीट संख्या का निर्धारण उपलब्ध अधोसंरचना तथा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य, जनभागीदारी समिति से सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- 21.2 शासकीय महाविद्यालयों में कक्षा/विषयवार सीट संख्या का निर्धारण संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के मध्य कक्षा/विषयवार सीट संख्या में वृद्धि हेतु कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेंगे।
- 21.3 अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत सीट संख्या अनुसार प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- 21.4 इस सम्बंध में समय-समय पर जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 21.5 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में निर्धारित तिथियों में समस्त महाविद्यालय संस्था में संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम, विषय समूह निर्धारित सीट संख्या एवं पाठ्यक्रमवार/वर्गवार प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित) एवं नवीनीकरण की पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी के साथ महाविद्यालय का बैंक खाता क्रमांक, आई.एफ.एस.सी. कोड आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से ऑनलाईन विभागीय (<https://epravesha.mponline.gov.in>) पोर्टल पर दर्ज/अद्यतन कर लॉक करेंगे।
- 21.6 महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का क्रास चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।
- 21.7 प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत नवीन सत्र में सीट संख्या का निर्धारण करते समय शासकीय महाविद्यालयों में गत वर्ष के स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम/विषय समूह में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या को राउण्डअप करते हुए सीट संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 21.8 निजी महाविद्यालयों को ऑनलाईन पोर्टल पर जोड़ने की प्रक्रिया -
- (अ) नवीन निजी महाविद्यालय को विभाग द्वारा जारी आई.डी. पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय की प्रोफाइल निर्मित करना अनिवार्य होगा।
- (ब) निजी महाविद्यालयों को पोर्टल पर सम्बद्ध होने के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर संस्था से संबंधित जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

- (स) शासन द्वारा जारी वर्तमान सत्र के लिए अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र/निरन्तरता प्रमाण पत्र।
- (द) विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र के लिए जारी अद्यतन संवद्धता प्रमाण पत्र।
- (य) विधि पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्त कंडिका 21.8 के साथ-साथ, बी.सी.आई. की अनुमति एवं निर्धारित सीट संख्या।
- (र) महाविद्यालय बैंक खाता क्रमांक की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे इसके साथ ही बैंक खाते का क्रास चेक पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसी बैंक खाते में महाविद्यालयों को प्रवेशित विद्यार्थियों से संबंधित प्रवेश शुल्क की राशि अन्तरित की जाएगी।
- (ल) पोर्टल पर संबंधित महाविद्यालय का सत्यापन क्षेत्राधिकार के विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। संबंधित महाविद्यालय द्वारा पर्याप्त जानकारी मय प्रमाणों के सम्बद्ध न होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालयों की प्रोफाइल को रिवर्ट किया जाएगा। रिवर्ट की गई प्रोफाइल को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अद्यतन न करने पर प्रवेश प्रक्रिया से वंचित होना होगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित जानकारी अपलोड कर देने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में पुनः सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे जिसकी जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी।
- (व) स्नातक स्तर की विधि कक्षाओं में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार और अन्य कक्षाओं के लिए UGC के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को प्रति सेक्शन गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

22. समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम :-

- 22.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।
- 22.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई-प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे बोर्ड ऑनलाईन ई-प्रवेश पोर्टल पर मान्य सूची में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाईन प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पंजीयन कर ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
- 22.3 विदेशी बोर्ड से अर्हकारी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक ने यदि मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीयन करवाया है ऐसी स्थिति में आवेदक को केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पात्रता अनुसार ई-प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।
- 22.4 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।
- 22.5 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता-विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होंगी।



22.6 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय, जैसे लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बायोकैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा-प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित हैं। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, गोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाईन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाईन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

22.7 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की 'उत्तर मध्यमा परीक्षा' को हायर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

23. प्रवेश की पात्रता :-

23.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

- (अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूतान के विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ब) उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (द) जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के विस्थापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिये निम्न प्रावधान लागू होंगे:
 1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
 2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्त पूरी करता हो। (विधि पाठ्यक्रमों को छोड़कर)
 3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि।
 4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
 5. द्वितीय और आगे वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।
 6. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में गैरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।
- (य) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए All India Council for Technical Education (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B of UGC Act. के तहत मान्य) महाविद्यालयों में दो अधिसंख्य सीटों का सृजन कर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यार्थियों को सीट आवंटन के बाद प्रवेश देने के पूर्व सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा। उक्त प्रवेशित विद्यार्थी की जानकारी ई-प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध माड्यूल में दर्ज करने का दायित्व भी संबंधित महाविद्यालय का होगा।

24. विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :-

24.1 किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

- 24.2 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं हैं। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञापन क्र. एफ-1-16/2007 (सी.पी.पी.।।) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा-1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।
- 24.3 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 24.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
25. बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :-
- 25.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एस.सी.(गृह-विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय-समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 25.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय-समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 25.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा। शपथ-पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।
- 25.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।
- 25.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।
- 25.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- 25.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

26. आरक्षण :-

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :-

- 26.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।
- 26.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

- 26.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681-227-इक्कीस-अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)
- 26.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा-
1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
 2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
 3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
 4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
 5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित-परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मैडल पत्रों में उल्लेख।
 6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल।
 7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
 8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।
- 26.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।
- 26.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Section) :- आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.-5'अ'/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।
- 26.7 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।
- 26.8 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 26.9 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।
- 26.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

26.11 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश :-

अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पंजीयन, आवंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पोर्टल (<https://epravesh.mponline.gov.in>) पर पृथक से उपलब्ध लिंक के माध्यम से संचालित होगी।

सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपनी संस्था को रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बंधित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बंधित विश्वविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु आवंटन की प्रक्रिया 01 : 01 (अल्पसंख्यक श्रेणी : गैर अल्पसंख्यक श्रेणी) के अनुपात में की जावेगी।

26.12 कंडिका 6.4 अनुसार सी.एल.सी. अंतिम चरण में समय सारणी अनुसार पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के (आवेदक उपलब्ध न होने पर) रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित किये जायेंगे।

26.13 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

26.14 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो, पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

27. अधिभार :-

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः अपलोड करने होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

- खेलकूद विधा में विधावार चिह्नित महाविद्यालय में कुल सीट संख्या के अतिरिक्त 5 सीट खेलकूद में 'ए' श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के लिए आउटराइट के आधार पर सुरक्षित होंगी।
- कला-संस्कृति (युवा उत्सव) / एन.सी.सी.-एन.एस.एस.- स्काउट एवं रेडक्रॉस सोसायटी में शामिल 'ए' श्रेणी प्राप्त आवेदकों के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में कुल सीट के अतिरिक्त 5 - 5 सीट आउटराइट के आधार पर आवंटित करने के लिए सुरक्षित होंगी।
- राज्य /संभाग /जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आवेदकों के लिए बी, सी और डी में अधिभार के आधार पर, गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- आउटराइट के आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्वतः सीटों में वृद्धि की जायेगी।

27.1 खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन - आउटराइट (Outright)

1. ओलंपिक खेल / वर्ल्डकप चैम्पियनशिप / वर्ल्डकप / कॉमनवेल्थ गेम्स / एशियन गेम्स / एशियन चैम्पियनशिप / साउथ एशियन गेम्स पैरालंपिक गेम्स / अंतर्राष्ट्रीय यूथ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2. एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल रांघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 2 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जूनियर प्रतियोगिता / राष्ट्रीय खेल / फेडरेशन कप / सीनियर नेशनल इंटर जोनल नेशनल / नेशनल स्कूल गेम्स / अंडर 17 / 19 / खेलो इंडिया स्कूल / यूथ गेम्स अंडर 17 / 21 / यूथ / जूनियर नेशनल सब जूनियर / जोनल नेशनल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त / प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को।	

श्रेणी B – (प्रतिशत अधिभार)

स्टेट प्रतियोगिता / इंटर जोनल एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय / अन्तर संभाग / अन्तर जिला / सीवीएससी / केवीएस / आईपीएससी / डीएवी / एनवीएस / विद्या भारती प्रतियोगिता के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	15 प्रतिशत अधिभार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	10 प्रतिशत अधिभार

श्रेणी C – (प्रतिशत अधिभार)

लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला / संभाग स्तर जिले की प्रतियोगिता सीवीएससी क्लस्टर / केवीएस / एनवीएस, डी.ए.व्ही / विद्या भारती / सुव्रतो कप / स्कूल स्पोर्ट्स (जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन / जिला / डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन / जिला स्कूल बोर्ड से प्रमाणित) के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	10 प्रतिशत अधिभार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	5 प्रतिशत अधिभार

27.2 कला – संस्कृति (युवा उत्सव आदि) की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन – आउटराइट (Outright)

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान एवं प्रतिभागिता पर राष्ट्रीय युवा उत्सव में सहभागिता पर	गतिविधियां – • नृत्य (भारतीय शास्त्रीय / लोक), गायन (हिन्दुस्तानी / पार्श्वचाल्य शास्त्रीय/सुगम/लोक/पार्श्वचाल्य सुगम) • विषय • रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) • डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी/एनीमेशन/फिल्म मेकिंग) • संगीत वादन (हिन्दुस्तानी / पार्श्वचाल्य) • फाइन आर्ट्स (स्केचिंग / पेंटिंग / स्कल्पचर) • थियेटर • वादविवाद (हिन्दी एवं अंग्रेजी) • विज्ञान संबंधी गतिविधियां	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
--	---	---

श्रेणी – B, C एवं D (प्रतिशत अधिभार)

(नृत्य भारतीय शास्त्रीय / लोक, गायन हिन्दुस्तानी / पार्श्वचाल्य शास्त्रीय / सुगम लोक पार्श्वचाल्य सुगम) विषय रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी / एनीमेशन / फिल्म मेकिंग) संगीत वादन (हिन्दुस्तानी / पार्श्वचाल्य) फाइन आर्ट्स (स्केचिंग / पेंटिंग / स्कल्पचर) ललितकला थियेटर डिबेट (वादविवाद हिन्दी एवं अंग्रेजी)	<u>B</u>	राज्य स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान एवं प्रतिभागिता पर	15 प्रतिशत अधिभार
	<u>C</u>	संभाग स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	10 प्रतिशत अधिभार
	<u>D</u>	जिला स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	05 प्रतिशत अधिभार

27.3 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स (स्काउट/गाईड्स/रेन्जर्स) एवं रेडक्रास सोसायटी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों हेतु -

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन - आउटराइट (Outright)

1	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कॉन्टिनजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2	राष्ट्रपति स्काउट	
3	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	
4	ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	
5	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	
6	एन.सी.सी./एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	

श्रेणी B - (प्रतिशत अधिभार)

1	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	10 प्रतिशत
2	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	
3	राज्यपाल स्काउट	

श्रेणी C - (प्रतिशत अधिभार)

1	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	7 प्रतिशत
2	एन.सी.सी./एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	

श्रेणी D - (प्रतिशत अधिभार)

1	भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	5 प्रतिशत
2	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिये	

27.4 ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत

27.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइन्स एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

27.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत

28. प्रवेश संबंधी विशेष प्रावधान :-

28.1 प्रवेश पश्चात् प्राचार्य के अधिकार :-

28.1.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

28.1.2 प्रावधिक प्रवेश के मामले में प्राचार्य पृथक् सूची तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।

- 28.1.3 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह दिवस तक ऑनलाईन/ऑफलाईन कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदोपरान्त ही समुचित कारण होने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।
- 28.1.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 24.2 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
- 28.2 प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया :-
शुल्क वापसी की प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शिका के बिन्दु क्रमांक 07 एवं कण्डिका 7.1 का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जावेगा।
- 28.2.1 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ने/प्रावधिक प्रवेश पश्चात् अनुत्तीर्ण घोषित होने / ऑनलाईन प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रुपये 100/- काटकर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कॉशन मनी सहित) वापस किया जाएगा।
- 28.2.2 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कॉशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- 28.2.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत महाविद्यालय द्वारा राशि वापिस की जावेगी।
 रिमार्क: यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी / व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।
- 28.3 हितग्राही योजना परिवर्तन:-
- 28.3.1 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना/मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना/मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में विद्यार्थी प्रवेशित महाविद्यालय में परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा/वापसी करना अनिवार्य होगा।
- 28.3.2 इस संबंध में महाविद्यालय विधिवत् सूचना प्रसारित कर, प्राप्त आवेदन अनुसार कार्यवाही करेंगे। महाविद्यालय द्वारा किये गये परिवर्तन की जानकारी निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन मॉड्यूल में भी दर्ज करनी होगी अन्यथा किये गये परिवर्तन मान्य नहीं होंगे।
- 28.4 विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन:-
 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित महाविद्यालय में विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय स्तर पर प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय/पाठ्यक्रम/संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाईन मॉड्यूल पर निर्धारित समय सीमा में जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा।

- 28.5 अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के तत्काल बाद सभी शासकीय/अशासकीय/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन प्रवेश शुल्क समय सीमा में जमा किया गया है, साथ ही, यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रवेशित विद्यार्थी ने केवल प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्रवेश शुल्क जमा किया है। किसी आवेदक ने प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा न करते हुए संबंधित महाविद्यालय के बैंक खाते में प्रवेश शुल्क जमा कर दिया है ऐसी स्थिति में संबंधित महाविद्यालय को शुल्क जमा होने के तीन दिवस की अवधि में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा की अकादमिक शाखा को सूचित कर निराकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा।
- 28.6 अकादमिक कैलण्डर का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के बाद महाविद्यालय को प्रवेश पोर्टल से प्राप्त, ऑनलाईन प्रवेशित सूची में, यदि किसी प्रकार की विसंगति दिखाई देती है तो प्राचार्य प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के 15 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्यतः अकादमिक शाखा, आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय, म.प्र. भोपाल को पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी, प्रमाण एवं प्रवेश पोर्टल से प्राप्त प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची सहित लिखित आवेदन निर्धारित समय अवधि में प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में ई-गेल द्वारा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उक्त समय-सीमा की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 28.7 ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया से समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय अब पूर्ण रूप से परिचित हो चुके हैं। अतः सत्र 2022-23 के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश/प्रवेश नवीनीकरण हेतु कंडिका 5.1.7 के अनुसार पंजीयन एवं पोर्टल शुल्क से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण राशि एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को स्थानांतरित की जाएगी।
- 28.8 प्रवेश निरस्तीकरण उपरान्त विद्यार्थी को दिये गये स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र का ऑनलाईन मॉड्यूल में प्रविष्टि करने संबंधी- एक बार प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि आवेदक द्वारा महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है तो इसकी जानकारी भी ऑनलाईन उपलब्ध कराये गये मॉड्यूल में देना अनिवार्य होगा, जिससे प्रवेशित आवेदकों की वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।
- 28.9 अशासकीय महाविद्यालयों की मान्यता समाप्त होने पर नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रावधान/व्यवस्था- ऐसे अशासकीय महाविद्यालयों जिनकी मान्यता अथवा उनके स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों की मान्यता शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त कर दी गई है उनमें विगत वर्षों में नियमित प्रवेशित विद्यार्थियों को अन्य महाविद्यालयों में उन्हीं पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
- 28.10 इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है। आयुक्त, उच्च शिक्षा को आवश्यकतानुसार मार्गदर्शी सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/स्पष्टीकरण जारी करने/समय सारणी घोषित एवं परिवर्तन करने/प्रवेश पोर्टल संबंधी जानकारी देने/प्रवेश संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदत्त किया जाता है। विशिष्ट एवं सैद्धांतिक प्रकरण में अंतिम निर्णय का सम्पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।

संलग्न : अकादमिक कैलण्डर सत्र 2022-23 (परिशिष्ट 1 एवं 2)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग



अकादमिक कैलेंडर सत्र 2022-23 (सेमेस्टर के लिए)

अकादमिक कार्य	स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय	स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ
कक्षाएँ प्रारंभ सिर्फ स्नातकोत्तर प्रथम / तृतीय सेमेस्टर	01 जुलाई 2022	21 दिसम्बर 2022
शैक्षणिक कार्य	01 जुलाई 2022 से 30 अक्टूबर 2022	21 दिसम्बर 2022 से 13 अप्रैल 2023
सी.सी.ई. (सतत समग्र मूल्यांकन)	सितम्बर तृतीय सप्ताह	मार्च द्वितीय सप्ताह
प्रायोगिक परीक्षाएँ	18 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य	01 अप्रैल से 13 अप्रैल 2023 के मध्य
परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	08 नवम्बर 2022 से 15 नवम्बर 2022	13 अप्रैल 2023 से 19 अप्रैल 2023
सेमेस्टर एवं एटीकेटी परीक्षा	16 नवम्बर 2022 से 11 दिसम्बर 2022	20 अप्रैल 2023 से 16 मई 2023
सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) विद्यार्थियों के लिए	12 दिसम्बर 2022 से 20 दिसम्बर 2022	17 मई से 30 जून 2022
परीक्षा परिणामों की घोषणा	31 दिसम्बर 2022 तक	15 जून 2023 तक

- प्रवेश उत्सव कार्यक्रम : अगस्त (प्रथम सप्ताह) 2022
- छात्रसंघ गठन : अगस्त/सितम्बर 2022
- खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./युवा उत्सव/
दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ : माह अक्टूबर 2022 तक पूर्ण कर
ली जाएँ
- दीपावली अवकाश : दिनांक 24 अक्टूबर 2022 से 29
अक्टूबर 2022 तक (05 कार्य दिवस)
- स्नेह सम्मेलन/वार्षिकोत्सव/पुरस्कार वितरण : फरवरी 2023 द्वितीय सप्ताह
वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन

टीप :-

- (1) अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/विधि स्तर पर क्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जावेगी ताकि अकादमिक कैलेंडर का पालन समयानुसार सुनिश्चित हो सके।
- (2) स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु नवीनीकरण प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) शैक्षणिक कार्य दिवस कम होने पर अतिरिक्त कक्षाएँ संचालित कर पाठ्यक्रम पूर्ण किया जावेगा।



स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर के कार्य दिवस की गणना
सत्र 2022-23

क्र.	माह	दिवस	अवकाश	कार्य दिवस
1	जुलाई 2022	31	5 रविवार + 0 अवकाश	26
2	अगस्त 2022	31	4 रविवार + 4 अवकाश	23
3	सितम्बर 2022	30	4 रविवार + 0 अवकाश	26
4	अक्टूबर 2022	31	5 रविवार + 3 अवकाश	23
5	नवम्बर 2022	30	4 रविवार + 2 अवकाश	24
6	11 दिसम्बर 2022 तक	11	2 रविवार + 0 अवकाश	9
	कुल दिवस	164	33	131

स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर के शैक्षणिक कार्य दिवस की गणना
सत्र 2022-23

क्रमांक	विवरण	कार्य दिवस
1.	01 जुलाई 2022 से 11 दिसम्बर 2022 तक कुल कार्य दिवस	131
2.	अवकाश एवं शैक्षणोत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. स्थानीय अवकाश- 03 2. दीपावली अवकाश- कुल 5 कार्यदिवस 3. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां- 08 कार्य दिवस 4. परीक्षा- 25 कार्य दिवस	41
3.	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (131-41)	90

स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर के कार्य दिवस की गणना
सत्र 2022-23

क्रमांक	माह	दिवस	अवकाश	कार्य दिवस
1.	21 दिसम्बर 2022 से	11	1 रविवार + 0 अवकाश	10
2.	जनवरी 2023	31	5 रविवार + 1 अवकाश	25
3.	फरवरी 2023	28	4 रविवार + 1 अवकाश	23
4.	मार्च 2023	31	4 रविवार + 3 अवकाश	24
5.	अप्रैल 2023	30	5 रविवार + 5 अवकाश	20
6.	मई 2023	31	4 रविवार + 1 अवकाश	26
7.	जून 2023	30	4 रविवार + 1 अवकाश	25
	कुल दिवस	192	192-39	153

स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षणिक कार्य दिवस की गणना
सत्र 2022-23

क्रमांक	विवरण	कार्य दिवस
1.	21 दिसम्बर 2022 से 16 मई 2023 तक कुल कार्य दिवस	153
2.	अवकाश एवं शैक्षणोत्तर गतिविधि/परीक्षा हेतु अशैक्षणिक दिवस 1. महाविद्यालय स्तर गतिविधियां- 03 कार्य दिवस 2. परीक्षा- 22 कार्य दिवस 3. ग्रीष्म अवकाश 37 कार्य दिवस	62
3.	कुल शैक्षणिक दिवस (1-2) (153-62)	91

परिशिष्ट - 2

अकादमिक कैलेंडर सत्र 2022-23
(वार्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के लिए)

स.क्र	विवरण	तिथि
1.	प्रवेश प्रारंभ	17 मई 2022
2.	शिक्षण कार्य प्रारंभ	01 जुलाई 2022
3.	प्रवेश उत्सव कार्यक्रम	अगस्त (प्रथम सप्ताह) 2022
4.	स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रवेश बन्द	14 अगस्त 2022
5.	संकाय परिवर्तन/विषय परिवर्तन/प्रवेश समस्या निवारण शिविर	प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात 10 दिवस में पूर्ण किया जावेगा।
छात्र संघ/सांस्कृतिक, साहित्यिक/खेलकूद एवं अन्य महाविद्यालयीन गतिविधियाँ		
1.	छात्रसंघ गठन	अगस्त/सितम्बर 2022
2.	विश्वविद्यालयीन/गृहविद्यालयीन/जिला/सभाग/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाएं	ये सभी गतिविधियाँ माह अक्टूबर 2022 तक पूर्ण कर ली जाएं।
3.	खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस/युवा उत्सव/दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ	
4.	वार्षिक स्नेह सम्मेलन/वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन	फरवरी द्वितीय सप्ताह 2023 (अधिकतम 04 कार्य दिवस)
आंतरिक मूल्यांकन/पूरक परीक्षा/वार्षिक परीक्षाएँ		
1.	पूरक परीक्षा प्रारंभ	16.09.2022 से 23.09.2022
2.	पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा	30.09.2022
3.	तिमाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन	सितम्बर अंतिम सप्ताह 2022
4.	छ:माही आंतरिक मूल्यांकन	दिसम्बर अंतिम सप्ताह 2022
5.	सैद्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा	21 फरवरी 2023
6.	सभी स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि	14 मार्च से 25 मार्च 2023
7.	परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश	26 मार्च से 31 मार्च 2023
8.	वार्षिक परीक्षा	01 अप्रैल से 18 मई 2023
9.	सभी परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	30 जून 2023
अवकाश		
1.	दीपावली	दिनांक 24 अक्टूबर 2022 से 29 अक्टूबर 2022 (कुल 5 कार्य दिवस)
2.	ग्रीष्म अवकाश (शिक्षकों हेतु)	19.05.2023 से 30.06.2023 (कुल 36 कार्य दिवस)

नोट :- स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाएगा।



कार्य दिवस की गणना सत्र 2022-23
(वार्षिक पद्धति - स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष के लिए)

(अ)	अवकाश एवं शैक्षणोत्तर गतिविधियों का विवरण	
1.	रविवार	52
2.	सामान्य अवकाश	18 कार्य दिवस
3.	स्थानीय अवकाश	03 कार्य दिवस
4.	दीपावली अवकाश	05 कार्य दिवस
5.	छात्रराघ गठन/महाविद्यालयीन सांस्कृतिक गतिविधियां आदि	15 कार्य दिवस
योग		93
(ब)	परीक्षा/ग्रीष्मावकाश के अशैक्षणिक दिवस	
1	परीक्षा पूर्व तैयारी	06 कार्य दिवस
2.	परीक्षा अवधि	35 कार्य दिवस
3.	ग्रीष्म अवकाश	36 कार्य दिवस
योग		77 कार्य दिवस
(स)	कुल अशैक्षणिक दिवस (अ+ब) $(93+77) = 170$	170 कार्य दिवस
(द)	कुल शैक्षणिक दिवस $(365-170) = 195$	195 शैक्षणिक कार्य दिवस

नोट— अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक 180 दिवस से कम होने की दशा में, महाविद्यालय/वि.वि स्तर पर शैक्षणिक कालखण्ड की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवस की पूर्ति की जावेगी ताकि अकादमिक कैलेंडर का पालन समयानुसार सुनिश्चित हो सके। शैक्षणिक कार्य दिवस कम होने पर अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर पाठ्यक्रम पूर्ण किया जावे।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

